// नोटिस //

जैसा कि, आप दल संख्या 120461824 कांस्टेबल (जी॰डी॰) अंकित कुमार, पुत्र श्री चेतराम सिंह, 'द' समवाय, 55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/सूचना के दिनांक 21.05.2024(पूर्वा0) से असाधारण अवकाश से अनुपस्थित चल रहा हैं। आपको 55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3994 दिनांक 22.05.2024, ज्ञापन संख्या 4132 दिनांक 03.06.2024 एवं ज्ञापन संख्या 4131–34 दिनांक 13.06.2024 के तहत अतिशीघ्र वाहिनी मुख्यालय में आमद देने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु न तो आप वाहिनी में आमद हुए और न ही वाहिनी को आपकी ओर से सूचना प्राप्त हुई हैं।

2. आपकी निरन्तर अनुपस्थिति पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 518–22 दिनांक 22.06.2024 के अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक, जिला–जे0पी0 नगर(उत्तर प्रदेश) को आपको गिरफ्तार करके तृतीय वाहिनी, भा0ति0सी0पु0बल अथवा 55वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल को सौंपने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन हसनपुर जिला जे0पी0 नगर(उत्तर प्रदेश) तथा आपके पिताजी श्री चेतराम सिंह को भी दी गई है आपको तुरन्त ड्यूटी पर वापिस आने हेतु निर्देश देने का अनुरोध करते हुए सूचित किया गया था, किन्तु न तो आप ड्यूटी पर वापिस आए और न ही पुलिस अधीक्षक, जिला–जे0पी0 नगर (उत्तर प्रदेश) ने तृतीय वाहिनी, भा0ति0सी0पु0बल अथवा 55वीं वाहिनी को सौंपा गया है। दिनांक 21.05.2024 (पूर्वा0) से बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/सूचना के लगातार अनुपस्थिति के मद्देनजर भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम, 1992 की धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1747 दिनांक 02.07.2024 के तहत आपकी निरन्तर अनुपस्थिति की परिस्थितियों का पता लगाने हेतु एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जांच समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशों के अनुसार भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम, 1992 की धारा 74 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या 4993–5007 दिनांक 27.07.2024 के तहत् आपको बल से ''भगौड़ा'' घोषित किया गया है। अतः यह माना जाता है कि आप आगे भा॰ति॰सी॰पु॰ बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

3. भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम 1992 तथा भा॰ति॰सी॰पु॰ बल नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में अग्रिम कार्यवाही से पहले आपको वाहिनी मुख्यालय 55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल, रंगामाटी, तेजपुर (असम) में इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अन्दर रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आमद नहीं देने की स्थिति में अनुपयुक्तता के आधार पर बल से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

सेनानी
55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल

CBC 19112/11/0125/2425